न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 03/2021 दायर दिनांकः 01/01/2021

उनवान

1. छीतरलाल आयु 56 वर्ष पुत्र गज्जा
2. द्रोपती आयु 51 वर्ष पुत्री गज्जा
3. रामचन्द्र आयु 46 वर्ष पुत्र गज्जा
4. कस्तूरचन्द आयु 60 वर्ष पुत्र चिन्ता
5. सूरजमल आयु 57 वर्ष पुत्र चिन्ता
6. धन्नालाल आयु 55 वर्ष पुत्र चिन्ता
7. बृजमोहन आयु 45 वर्ष पुत्र चिन्ता
8. धारासिंह आयु 19 वर्ष नाबालिग पुत्र किशनचन्द्र जर्येवली माता ललता बाई
9. भूपेन्द्र कुमार आयु 16 वर्ष नाबालिग पुत्र किशनचन्द्र जर्येवली माता ललता बाई
10. लाड़ बाई आयु 14 वर्ष नाबालिग पुत्री किशनचन्द्र जर्येवली माता ललता बाई
11. पूजा आयु 12 वर्ष नाबालिग पुत्र किशनचन्द्र जर्येवली माता ललता बाई
12. ललता बाई आयु 45 वर्ष पत्नि स्व0 किशनचन्द्र
13. रामदयाल आयु 45 वर्ष पुत्र बिरधा
14. चन्द्रभान आयु 35 वर्ष पुत्र बिरधा
15. सुन्दरबाई आयु 70 वर्ष पुत्री रामा
16. चतुर्भज आयु 65 वर्ष पुत्र रामा
17. मथुरालाल आयु 52 वर्ष पुत्र रामा जातियान मेघवाल निवासीगण जीरोद तह0 अटरू जिला बारां राज0 ।

वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:58:09 IST
Reason: SelfAttested

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0 एवं
136 एल0आर0एक्ट0 बाबत् खातेदारी घोषणा एवं नाम दुरस्ती हेतु

उपस्थिति :–

वादीगणः–   विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीगणः– विद्वान अभिभाषक पेरोकार सरकार

आदेश   दिनाकः 27/09/2021

पत्रावली पेश हुई। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0 एवं 136 एल0आर0एक्ट0 का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल ढोटी तहसील अटरू में खाता संख्या 60 के ख0नं0 1483 का रकबा 0.90 है0 आराजी वादीगण के पिता गज्जा एवं उनके भाईयों चिन्ता, बिरधा, रामा पिता सूरज्या के दर्ज खाता स्थित है। नकल जमाबन्दी खाता संख्या 60 साथ में संलग्न है। उक्त वर्णित आराजी में वादीगण के दादा का नाम सुक्खा के स्थान पर सूरज्या दर्ज होने के कारण उनके पिता व अन्य सहखोदार के वारिसान का नामान्तकरण उनके पक्ष में नहीं खोला जा रहा हैं जबकि वादीगण के ग्राम जिरोद की आराजी के खाता संख्या 97 का ख0नं0 575 का रकबा 1.10 है0 में वादीगण के दादा का नाम सुक्खा सही दर्ज है जिस कारण से वहां की आराजी वादीगण के नाम दर्ज हो चुकी है। खातेदारान गज्जा, चिन्ता, बिरधा, रामा की मृत्यु हो चुकी है तथा बिरधा के पुत्र किशनचन्द्र की भी मृत्यु 2 वर्ष पुर्व हो चुकी है। इसलिए किशनचन्द्र कं वारिसान को प्रतिवादी कम 8 लगायत 12 बनाया गया है तथा यह नाम दुरस्ती का वाद सुक्खा के वारिसान की ओर से पेश किया गया है। इसलिए वारिसान को खातेदार कृषक घोषित किया जावे। मृत्यु एवं वारिस प्रमाण पत्र गज्जा, चिन्ता, बिरधा, रामा व किशनचन्द्र साथ में संलग्न है। दौराने सेटलमेन्ट आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने वादीगण के दादा का नाम सुक्खा के स्थान पर सूरज्या दर्ज कर दिया जो कि गलत है वादीगण के दादा ही का सही नाम सुक्खा है तथा वादीगण के दादाजी का मृत्यु प्रमाण पत्र वारिस प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र जिरोद व नकल जमाबन्दी ग्राम जिरोद खाता संख्या 97 में भी सही नाम सुक्खा दर्ज है। बिना सहायता न्यायालय वादीगण के दादाजी का नाम सूरज्या के स्थान पर सुक्खा दर्ज किया जाना संभव नहीं है यदि वादीगण के दादाजी का नाम उक्त वर्णित आराजी में सही नही किया गया तो वादीगण को अपने कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी पर के0सी0सी0 ऋण आदि प्राप्त करने से वंचित होना पड़ रहा है। जिससे वादीगण को अपरिमित क्षति हो रही है जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नही होगी तथा वादीगण को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा। इसलिए वादीगण का वाद पत्र की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:58:09 IST
Reason: SelfAttested

मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर वादीगण के दादाजी का नाम सूरज्या के स्थान पर सुक्खा दर्ज कर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। वाद कारण प्रथम बार सेटलमेन्ट कर्मचारीगण द्वारा वादीगण के दादाजी का गलत नाम सूरज्या दर्ज कर देने पर तथा अंतिम बार दिनांक 20.09.2020 को श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को नाम परिवर्तन का प्रार्थना पत्र देने पर उनके द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने की सलाह देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षैत्र में उत्पन्न हुआ। राजस्थान सरकार भूमि धारी होने से जिला कलेक्टर महोदय बारां को धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस मियादी 2 माह प्रेषित कर दिया है लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस की अवधि समाप्त हुये बिना ही राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी बनाकर यह वाद 80(2) सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र के साथ माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। इसलिए 80(2) सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद की नियमित सुनवाई की जावे। विवादग्रस्त आराजी ग्राम ढोटी तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादीगण विनयी है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमायी जावे किः–

(अ) यह कि वादीगण का वाद पत्र की मद नं. 1 मं वर्णित ग्राम ढ़ोटी के खाता संख्या 60 के ख0नं0 1483 का रकबा 0.90 है0 आराजी पर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीगण के दादाजी का नाम सूरज्या के स्थान पर सुक्खा दर्ज कर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश न करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत pw1 से pw4 के शपथ पत्र पेश किये गये एवं रिकार्ड प्रदर्शित करवाया गया। अभिभाषक वादीगण की एक तरफा बहस सुनी। अभिभाषक वादीगण द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और निवेदन किया कि वाद पत्र की मद नं. 1 मं वर्णित ग्राम ढ़ोटी के खाता संख्या 60

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:58:09 IST
Reason: Self Attested

के ख0नं0 1483 का रकबा 0.90 है0 आराजी पर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीगण के दादाजी का नाम सूरज्या के स्थान पर सुक्खा दर्ज कर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया जमाबन्दी सवंत 2072 से 2075 ग्राम ढोटी के पुराना खाता संख्या 60 नया खाता संख्या 59 के ख0 नं0 1483 रकबा 0.90 है0 खातेदार गज्जा, चिन्ता, बिरधा, रामा पुत्रान सुरज्या हिस्सा 1/4–1/4 दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी संवत् 2065–2068 ग्राम जिरोद की जमाबंदी खाता संख्या 97 में खातेदार पूरनमल, रामचन्द्र पिता गज्जा, द्रोपदी पुत्री गज्जा ,रामा पुत्र सुक्खा कोम मेघवाल दर्ज रिकार्ड है जिसमें वादी क्रम 15 ल 17 के पिता रामा के पिता का नाम सुक्खा दर्ज है। अन्य रिकार्ड आधार कार्ड रामचन्द्र पुत्र गजानन्द, बृजमोहन मेघवाल पुत्र चिंताराम, द्रोपती बाई पत्नि चोथमल, ललता बाई पत्नि किशन चन्द, सूरजमल पुत्र चिंताराम, छीतर लाल पुत्र गजानन्द, शपथ पत्र ललता बाई, मृत्यु प्रमाण पत्र किशन चन्द्र, शपथ पत्र रामचन्द पुत्र गजानन्द, रामदयाल पुत्र बिरधा, चतुर्भुज पुत्र रामलाल, कस्तुरचन्द पुत्र चिन्ताराम, रामचन्द्र पुत्र गजानन्द के पेश किये गये है।

शपथ पत्र व प्रस्तुत रिकार्ड जमाबंदी ग्राम जिरोद की खाता संख्या 97 किता 1 रकबा 1.10 है0 में सहखातेदार रामा के पिता का नाम सुक्खा दर्ज है, सुक्खा की मृत्यु उपरान्त गज्जा, चिन्ता, बिरधा, रामा पिता सुरज्या का नाम विवादित भूमि में दर्ज हुआ है। जिसमें खातेदार गज्जा, चिन्ता, बिरधा, रामा की मृत्यु हो चुकी है तथा बिरधा के पुत्र किशनचन्द्र की मृत्यु 2 वर्ष पूर्व हो चूकि है। किशनचन्द्र के वारिसान प्रतिवादी क्रम 8 लगायत 12 है। उक्त विवादित भूमि में बिरधा का 1/4 हिस्सा है, बिरधा की मृत्यु उपरान्त उसके वारिसान किशनचन्द्र, रामदयाल, चन्द्रभान है जिनका हिस्सा 1/4 में 1/12 –1/12 किशनचन्द्र का तथा उसकी मृत्यु उपरान्त किशनचन्द्र के वारिसान प्रतिवादी क्रम 8 लगायत 12 का 1/12 हिस्सा बनता है तथा प्रतिवादी क्रम 13 व 14 का हिस्सा 1/12 बनता है। खातेदार गज्जा के वारिसान 1 ल 3 है जिनका 1/4 हिस्सा बनता है। खातेदार चिन्ता के वारिसान 4 ल 7 है जिनका 1/4 हिस्सा बनता है तथा रामा के वारिसान 15 ल 17 है। जिनका 1/4 हिस्सा बनता है।

अतः प्रस्तुत शपथ पत्र व रिकार्ड के आधार पर वादीगण के पिता व दादा का नाम विवादित आराजी ग्राम ढोटी की खाता संख्या 59 में सुरज्या के स्थान पर सही नाम सुक्खा दर्ज किया जाना व वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:58:09 IST
Reason: SelfAttested

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम ढोटी की खाता संख्या 59 के ख0 नं0 1483 रकबा 0.90 है0 में वादीगण के पिता, दादा का नाम सुरज्या के स्थान पर सुक्खा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा वादीक्रम 1 ल 3 को हि0 1/4, वादी क्रम 4 ल 7 को 1/4, वादी क्रम 8 ल 12 को 1/12, वादी क्रम 13 व 14 को हि0 1/12—1/12 तथा वादी क्रम 15 ल 17 को हि0 1/4 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार इन्द्राज दुरूस्ती कर, राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:58:09 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 03/2021

उनवान

1. छीतरलाल आयु 56 वर्ष पुत्र गज्जा
2. द्रोपती आयु 51 वर्ष पुत्री गज्जा
3. रामचन्द्र आयु 46 वर्ष पुत्र गज्जा
4. कस्तूरचन्द आयु 60 वर्ष पुत्र चिन्ता
5. सूरजमल आयु 57 वर्ष पुत्र चिन्ता
6. धन्नालाल आयु 55 वर्ष पुत्र चिन्ता
7. बृजमोहन आयु 45 वर्ष पुत्र चिन्ता
8. धारासिंह आयु 19 वर्ष नाबालिग पुत्र किशनचन्द्र जर्येवली माता ललता बाई
9. भूपेन्द्र कुमार आयु 16 वर्ष नाबालिग पुत्र किशनचन्द्र जर्येवली माता ललता बाई
10. लाड़ बाई आयु 14 वर्ष नाबालिग पुत्री किशनचन्द्र जर्येवली माता ललता बाई
11. पूजा आयु 12 वर्ष नाबालिग पुत्र किशनचन्द्र जर्येवली माता ललता बाई
12. ललता बाई आयु 45 वर्ष पत्नि स्व0 किशनचन्द्र
13. रामदयाल आयु 45 वर्ष पुत्र बिरधा
14. चन्द्रभान आयु 35 वर्ष पुत्र बिरधा
15. सुन्दरबाई आयु 70 वर्ष पुत्री रामा
16. चतुर्भज आयु 65 वर्ष पुत्र रामा
17. मथुरालाल आयु 52 वर्ष पुत्र रामा जातियान मेघवाल निवासीगण जीरोद तह0 अटरू जिला बारां राज0 ।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:58:09 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा 88, [illegible] 0एक्ट0 एवं

136 एल0आर0एक्ट0 बाबत खाते [illegible] घो[illegible] एवं नाम दुरस्ती हेतु

उपस्थिति :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री ब[illegible]

प्रतिवादीगणः– विद्वान अभिभाषक पेरोकार सरकार

मिनजानित मुदई रूबरू ....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम ढोटी की खाता संख्या 59 के ख0 नं0 1483 रकबा 0.90 है0 में वादीगण के पिता, दादा का नाम सुरज्या के स्थान पर सुक्खा दर्ज किये

जाने के आदेश दिये जाते है तथा वादीकम 1 ल 3 को हि0 1/4, वादी कम 4 ल 7 को 1/4, वादी कम 8 ल 12 को 1/12, वादी कम 13 व 14 को हि0 1/12–1/12 तथा वादी कम 15 ल 17 को हि0 1/4 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार इन्द्राज दुरूस्ती कर, राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....रु..... मुबालिक .....रु..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....रु..... ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....रु..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 27.09.2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:58:09 IST
Reason: SelfAttested